

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 08 / 2022

रजिस्ट्रेशन सं० :- 2022 / 145

बउनवान

राज० सरकार जयें खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों
(प्रार्थी)

बनाम

श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री प्रेम सिंह राजपुरोहित(मौके पर मौजूद विक्रेता/मालिक) निवासी पुरोहित का बास म.नं. 134, सुरानी जोधपुर हाल निवासी बैंक वाली गली, केलवाड़ा जिला बारों मैसर्स मारवाड़ जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मेन रोड केलवाड़ा जिला बारों

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) व दण्डनीय धारा 51

उपस्थिति :- 1- श्री गोविन्द गुर्जर खा.सु.अ. (प्रार्थी)

2- श्री हजारी लाल भार्गव अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 18.07.2022

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.10.2021 को मैसर्स मारवाड़ जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मेन रोड केलवाड़ा जिला बारों पर पहुंचा। वहाँ पर श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित पुत्र प्रेम सिंह राजपुरोहित(मौके पर मौजूद विक्रेता/मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.10.2021 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और उसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 869 दिनांक 06.11.2020 एवं क्रमांक 304 दिनांक 27.09.2021 के अनुसार उनको कार्य क्षेत्र जिला बारों आवंटित किया गया है और जिला बारों के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में आते हैं।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहाँ पर खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू(बेसन, शक्कर, ड्राई फ्रूट व घी से निर्मित स्वीट्स) एक स्टील की ट्रे में लगभग 10 से 12 किलो आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू(बेसन, शक्कर, ड्राई फ्रूट व घी से निर्मित स्वीट्स) में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं० 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारों द्वारा खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू(बेसन, शक्कर, ड्राई फूट व घी से निर्मित स्वीट्स) 02 किलोग्राम साफ-सूखे, खाली स्टील के भगोने में तुलवाकर वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित पुत्र प्रेम सिंह राजपुरोहित(मौके पर मौजूद विक्रेता/मालिक) को 600/- रुपये (अक्षरे छः सौ रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू(बेसन, शक्कर, ड्राई फूट व घी से निर्मित स्वीट्स) को चार साफ, सूखे, खाली, खाली प्लास्टिक की शीशीयों में बराबर-बराबर मात्रा में डालकर, प्रत्येक नमूना भाग में 40-40 बूंदे फार्मोलीन बतौर प्रिजरवेटिंग डालकर ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग-अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर दोनों सिरों को मोड़कर गोंद से चिपकाएं एवं लेबल तैयार कर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-1234 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारों की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-1234 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्टें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित पुत्र प्रेम सिंह राजपुरोहित(मौके पर मौजूद विक्रेता/मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वयं द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2021/287 दिनांक 06.12.2021 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 503/PHL/Act/2021/583 दिनांक 03.12.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू(बेसन, शक्कर, ड्राई फूट व घी से निर्मित स्वीट्स) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत अवमानक (Sub Standard) होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 06.05.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवार में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू(बेसन, शक्कर, ड्राई फ्रूट व घी से निर्मित स्वीट्स) को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जांच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत अवमानक(Sub Standard) होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही नमूना लेने की प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए निर्धारित प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। फर्द निरीक्षण प्रक्रिया नियमों के अधीन मौके पर तैयार नहीं की गई है तथा खाद्य विश्लेषक द्वारा मिथ्या रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण तैयार की गई है जिस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। परीक्षण प्रयोगशाला एन बी एल द्वारा या खाद्य अथॉरिटी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। रिपोर्ट में वर्णित सैंपल की जांच की अवधि भी दी हुई है परन्तु की गई रिपोर्ट का कोई परिणाम प्रतिवेदन रिपोर्ट में वर्णित नहीं है। इस कारण रिपोर्ट मानने योग्य नहीं है। परिवार अंदर मियाद प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं स्वीकृति अभियोजन भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं की गई है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि कार्यवाही/परिवार संदेह से परे साबित न होने से निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारां द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी यदि खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 503/PHL/Act/2021/583 दिनांक 03.12.2021 से असन्तुष्ट था तो अप्रार्थी को जरिये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सैंपल की पुनः जांच करवाये किन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त सैंपल की पुनः जांच नहीं करवाई गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी से वास्ते नमूना जांच हेतु कय किया गया खाद्य पदार्थ खोया(खुला हुआ) खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 503/PHL/Act/2021/583 दिनांक 03.12.2021 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत अवमानक(Sub Standard) होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को कुल जुर्माना राशि 15,000/- रुपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रुपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक में निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्ति, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट,
बारां (राज.)